POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 05.07.2024

1.साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर द्वारा फर्जी क्यू आर कोड बनाकर चिकित्सक की फीस की धनराशि को धोखाधडी पूर्वक स्वयं के क्यू आर कोड के माध्यम से लेकर 10 लाख रुपये की धोखाधडी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.07.2024** को साइबर क्राइम थाना, नोएडा द्वारा मु0अ0सं0 0053/2024 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि व 66 डी0 आई0टी0 एक्ट थाना सेक्टर-58 नोएडा गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को स्टेडियम मार्ग नोएडा टी पॉइंट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनाक 26.02.2024 को थाना सेक्टर-58 पर मुकदमा अपराध संख्या 0053/2024 धारा 420/406/467/468/471/120बी भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट बनाम महेश पुत्र रमेश चन्द्र नि0 नियर ई0एस0आई0 अस्पताल चौराहा सैक्टर 22 नोएडा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।विवेचना के दौरान अभियुक्त संजय व अजय के नाम प्रकाष में आये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त संजय कुमार ने पूछने पर बताया कि वह मेडिकल क्षेत्र में एम0 आर0 का काम करता हैं। वर्ष 2022 में डाक्टर अजय अग्रवाल व मोनिका अग्रवाल के क्लीनिक पर दवाइयों के प्रचार प्रसार हेतु जाया करता था। उसी समय उसके द्वारा उनकी क्लीनिक पर जांच हेतु अपने साले महेश पुत्र रमेश चन्द्र को रखा था जो कि उस समय उनके पास ही मकान में रहता था। उसी मकान में अजय कुमार कठेरिया भी रहता था। उसी समय उनके द्वारा एकराय होकर महेश द्वारा अस्पताल में मरीजो द्वारा अस्पताल के क्यू आर कोड को चेज कर अपने नाम से क्यू0 आर0 कोड0 कर दिया एवं बडी मात्रा में धोखाधडी की धनराशि प्राप्त की। बाद में महेश व उसके द्वारा धोखाधडी

के पैसे को अजय कुमार कठेरिया के बैक खाते में स्थानन्तरण कर हम लोग पैसा नकद निकाल कर आपस से बॉट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. संजय कुमार (उम्र 35 वर्ष) पुत्र श्री तारा चंद निवासी ग्राम कर्मवीर नगर धानौली थाना मलपुरा आगरा हाल पता मकान राजवीर राणा दीप भवन के सामने गली में थाना सेक्टर-24 नोएडा ,
2. अजय कुमार (उम्र 36 वर्ष) पुत्र श्री बाबू राम निवासी मऊ तालका बरौली थाना देहात कोतवाली जनपद एटा हाल पता मकान राजवीर राणा दीप भवन के सामने गली में थाना सेक्टर-24 नोएडा

2. थाना सेक्टर- 113 नोएडा पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोरी करने व अवैध शस्त्र रखने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 चोरी की मो0सा0 बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.07.2024** थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये दुपहिया वाहन चोरी करने व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों 1. नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित पुत्र चंचल सिंह उर्फ राजू 2. विपिन पुत्र फौरन सिंह को पुस्ता के पास एफएनजी रोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। जिनके कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 चोरी की मो0सा0 बरामद।

अभियुक्तों का विवरण--

1. नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित पुत्र चंचल सिंह उर्फ राजू उम्र 24 वर्ष करीब निवासी बस स्टाप के सामने यादव गन हाउस वाली गली अकराबाद थाना अकराबाद जिला अलीगढ
2. विपिन पुत्र फौरन सिंह उम्र 23 वर्ष करीब निवासी बस स्टाप के सामने यादव गन हाउस वाली गली अकराबाद ,थाना अकराबाद जिला अलीगढ हालपता प्रदीप का मकान ग्राम बहलोलपुर थाना सेक्टर-63 जनपद गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

अभियुक्त नागर सिंह उर्फ रवि उर्फ रोहित के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 272/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113 नोएडा।
2. मु0अ0सं0- 487/2024 धारा 379 भादवि थाना बिसरख सेंट्रल नोएडा।
3. मु0अ0सं0 314/23 धारा 392/411 आईपीसी, थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव ।
4. मु0अ0सं0418/18 धारा 147/148/149 आईपीसी, थाना जलेसर जनपद एटा।
5. मु0अ0स0 422/18 धारा 27 आयुध अधिनियम थाना जलेसर जनपद एटा।
6. मु0अ0स0 424/18 धारा 420/473 आईपीसी थाना जलेसर जनपद एटा।
7. मु0अ0सं0 203/23 धारा 120बी/392/411 आईपीसी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त विपिन पुत्र फौरन सिंह के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 272/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-113 नोएडा।
2. मु0अ0सं0- 487/2024 धारा 379 भादवि थाना बिसरख सेंट्रल नोएडा गोतमबुध्दनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस
2. 01 चोरी की मो0सा0

3. सीआरटी व थाना सैक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये लोन व बीमा पालिसी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले 11 अभियुक्त जिसमें 02 पुरूष व 09 महिलायें गिरफ्तार, कब्जे से 25 मोबाइल, 81 डाटा शीट, 01 रजिस्टर, 01 ब्लैक डायरी, 02 फर्जी आधार कार्ड बरामद

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.07.2024** को सीआरटी गौतमबुद्धनगर व थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर लोन व बीमा पालिसी के नाम पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले 11 अभियुक्त जिसमें 02 पुरूष 1. आशीष कुमार उर्फ

अमित 2. जितेंन्द्र वर्मा उर्फ अभिषेक व 09 महिलायें 1. निशा उर्फ स्नेहा पुत्री शैलेन्द्र प्रसाद 2. रेजू उर्फ दिव्या पुत्री छोटेलाल पत्नी उदयराज 3. लवली यादव उर्फ स्वेता पुत्री वीरेन्द्र सिंह पत्नी बन्टी यादव 4. पूनम उर्फ पूजा पुत्री रमेशचन्द्र पत्नी सत्येन्द्र सिंह 5. आरती कुमारी उर्फ अनन्या पुत्री ओमप्रकाश गौतम 6. काजल कुमारी उर्फ सुर्ती पुत्री विजय कुमार चौधरी 7. सरिता उर्फ सुमन पुत्री तेरसीराम 08. बबीता पटेल उर्फ माही पुत्री गुलाबचन्द पटेल 09. गरिमा चौहान उर्फ सोनिया पुत्री बबलू चौहान को शर्मा मार्केट की चौथी मंजिल ग्रा0 होशियारपुर सेक्टर-51 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ अमित उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं यहाँ पर इस सेन्टर को चला रहा हूँ, मैं एनसीआर0 क्षेत्र से बाहर राज्यों के लोगों को मोटी कमाई के लालच में लोन व बीमा के नाम पर धोखाधड़ी का काम करता व करवाता हूँ। जिसमें यह सभी लोग कमीशन पर मेरी मदद करते है, जिसका जितना कार्य होता है, उसका उतना कमीशन कैश के रूप में मिल जाता है। मैने पीएनबी बैंक का एक एकाउन्ट जोकि अरविन्द नाम के व्यक्ति कर्नाटक में रहता है से 10 हजार रूपये महीनें पर किराये पर लिया है। उसका डेबिट कार्ड/एटीएम भी मेरे पास है। जैसे ही इसमें पैसे आ जाते है, मैं एटीएम से जाकर पैसें निकाल लेता हूँ। एक काली डायरी है मेरे पास जिसके अन्दर पैसे का लेन-देन का हिसाब लिखा है तथा मौजूद सभी लडके व लड़कियों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बरामद सामान एवं काम करने के तरीके के बारे में पूछने पर सभी ने बताया की हम सब लोग मिल कर दिल्ली एनसीआर0 के बाहर के राज्यों के भोले भाले लोगों को टारगेट करते है, जिन्हे बीमा पालिसी व लोन के नाम पर किराये पर लिये गये एकाउन्ट में पैसे ट्रांसफर कराते है, जिसे एटीएम से आशीष व जितेन्द्र निकालकर हम सभी लोग अपना अपना हिस्सा बाँट लेते है, जिसमें बडी हिस्सेदारी जितेन्द्र व आशीष की होती है। हम सब लोग सुबह लगभग 08.00 से लेकर रात्रि 20.00 बजे तक काल करते है जो मोबाइल फोन हम लोग उपयोग करते हे उनके सिम हम लोग फर्जी आधार कार्ड के जरिये जो टेन्ट लगाकर सिम बेचते है उन्हे अधिक पैसे देकर व फर्जी आधार कार्ड देकर खरीद लेते है इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुये है जिसका प्रयोग हम अपनी पहचान छुपाने के लिये करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों की आपराधिक पृष्ठभूमि व अन्य विवरण-- अभियुक्त आशीष उर्फ अमित उपरोक्त ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी0काम का छात्र रहा है, वर्ष 2019 में मैं व जितेन्द्र दोनों एसबीआई लाईफ इन्श्योरेंस में पालिसी बेंचने का काम करते थे। मैं इसको तभी से जानता हूँ। फिर हमने सोचा कि कुछ बड़ा काम किया जाये इस उद्देश्य से हमने कुछ लड़कियों को अपने साथ जोड़कर फर्जी कालिंग करके बीमा व लोन देने के नाम पर इंडिया मार्ट की साइट से 2500/- रूपये में लगभग 10,000/- लोगों का पूरे भारतवर्ष के डेटा को खरीदकर लोगों को फोन कर पैसें लेने का काम शुरू किया था। जिसे हम लगभग 01 से 1.5 साल से अलग अलग जगहों पर रहकर कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने करोडों रूपये कमाये जिसका हिसाब मेरे पास से मिली डायरी में लिखा है। जिसका जैसा काम था उसकों उसके पर्सेन्टेज के हिसाब से पैसे मिल जाते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. आशीष कुमार उर्फ अमित पुत्र अशोक कुमार नि0 म0नं0 26 गली नं0 05 यूसुफपुर चक सहबेरी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर
2. जितेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ अभिषेक पुत्र प्रेमचन्द वर्मा नि0 गली नं0 05 नगला एन्कलेव म0नं0 199 थाना फरीदाबाद हाल पता ओल्ड हैबतपुर युसुफपुर चक सहबेरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

अभियुक्ता का विवरण--

1. निशा उर्फ स्नेहा पुत्री शैलेन्द्र प्रसाद नि0 203 कल्याणपुरी दिल्ली स्थायी पता दाऊदपुर छपरा बिहार मो0 नं0 7303294678 उम्र 23 वर्ष
2. रेजू उर्फ दिव्या पुत्री छोटेलाल पत्नी उदयराज नि0 मनोज कुमार के मकान में गली 01 ग्रा0 छलेरा से0- 44 थाना से0- 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर स्थायी पता ग्रा0 हडिया थाना ऊँज जिला भदोही उम्र 22 वर्ष
3. लवली यादव उर्फ स्वेता पुत्री वीरेन्द्र सिंह पत्नी बन्टी यादव नि0 गली नं0 03 ग्रा0 छलेरा सै0 44 थाना से0- 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर स्थायी पता ग्रा0 लखनपुर थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 33 वर्ष
4. पूनम उर्फ पूजा पुत्री रमेशचन्द्र पत्नी सत्येन्द्र सिंह नि0 राहुल के मकान में गली नं0 02 ग्रा0 छलेरा से0- 44 थाना से0- 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 32 वर्ष
5. आरती कुमारी उर्फ अनन्या पुत्री ओमप्रकाश गौतम हाल पता सोनू के मकान ग्रा0 मोरना थाना से0- 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर स्थायी नि0 ग्रा0 हिनौता थाना शेरपुर जिला आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
6. काजल कुमारी उर्फ सुर्ती पुत्री विजय कुमार चौधरी नि0 म0नं0 428 चौहान मोहल्ला मदनपुर खादर थाना सरिता विहार दिल्ली उम्र 21 वर्ष
7. सरिता उर्फ सुमन पुत्री तेरसीराम नि0 म0नं0 बी 101 गली नं0 02 मोहन बाबा नगर ताजपुर विलेज बदरपुर दिल्ली उम्र 23 वर्ष
8. बबीता पटेल उर्फ माही पुत्री गुलाबचन्द पटेल नि0 ग्रा0 अखरी थाना रोहनिया जिला वाराणसी हाल पता गोविन्द के मकान में न्यू अशोक नगर दिल्ली उम्र 23 वर्ष
9. गरिमा चौहान उर्फ सोनिया पुत्री बबलू चौहान नि0 देव के मकान में ग्रा0 सर्फाबाद सेक्टर-73 थाना से0-113 नोएडा गौतमबुद्धनगर स्थायी पता 1975 झुग्गी झोपड़ी भाग 3 सी 38 के सामने से0- 8 थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष 112 सेक्टर-50 थाना सेक्टर-49 नोएडा उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 25 मोबाइल फोन
2. 81 डाटा शीट

3. 01 रजिस्टर
4. 01 ब्लैक डायरी
5. 02 फर्जी आधार कार्ड

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 21/24 धारा 420 भादवि0 66सी, 66डी आईटी0 एक्ट रांची झारखंड
2. मु0अ0स0 255/2024 धारा धारा 318(4),338,336(3),340(2) व 111 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) व 66 आई0टी0एक्ट थाना से0- 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।